रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20092021-229792
CG-DL-E-20092021-229792

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3558] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 20, 2021/भाद्र 29, 1943
No. 3558] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 20, 2021/BHADRA 29, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2021

का.आ. 3882(अ).—आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा गुजरात राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक आयोग 'गुजरात विद्युत विनियामक आयोग', गांधीनगर (पैन AAAAG0638C), को आयोग को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, नामतः-

(क) वार्षिक लाइसेंस शुल्क;

(ख) याचिका शुल्क; तथा

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों/राज्य द्वारा प्रायोजित वित्तीय संस्थाओं के पास जमा/सावधि जमाओं तथा बचत खातों पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना उन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि गुजरात विद्युत विनियामक आयोग, गांधीनगर,-

(क) कोई वाणिज्यिक कार्यकलाप नही करेगा;

(ख) विनिर्दिष्ट आय के कार्यकलाप एवं प्रकृति वित्त वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेंगे;

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधानों के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा; तथा

(घ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 288(2) के स्पष्टीकरण में दिए गए प्रावधान अनुसार लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित विवरणी के साथ लेखा परीक्षा रिपोर्ट फाईल करेगा और साथ ही सनदी लेखाकार से यह प्रमाण पत्र की उपर्युक्त शर्तें पूरी कर ली गई हैं।

3. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 तथा 2025-2026 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 115 /2021/फा. सं. 300196/9/2021-आईटीए-1]

सौरभ जैन, अवर सचिव